रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे
वर्ष 13 | अंक 26 | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य - 2 रु.
RNI-NO.MPHIN/2015/64585

इंदौर प्रति मंगलवार, 25 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक

G-20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से यहां मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

जोहानिसबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर हुई इस बैठक के दौरान, मोदी और मेलोनी ने आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए भारत-इटली संयुक्त पहल को अपनाया, जो आतंकवाद से लड़ने के उनके साझा संकल्प को दोहराता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''दोनों नेताओं की बातचीत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, रक्षा एवं सुरक्षा, अंतरिक्ष, अनुसंधान, नवाचार और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित रही।'' उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पर हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं और लोगों को लाभ होगा। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले एआई शिखर सम्मेलन के लिए पुरजोर समर्थन व्यक्त किया।

पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर मंथन, तीन दिवसीय कार्यशाला, जनप्रतिनिधि और अधिकारी होंगे शामिल

गोपाल गावंडे » रणजीत टाइम्स
प्रधान संपादक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए राज्यस्तरीय कार्यशाला का सोमवार को शुभारंभ करेंगे. कार्यशाला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 24 से 26 नवंबर तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित की जा रही है. कार्यशाला में तीन दिन तक मंथन होगा. मोहन यादव वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ के साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को पुरस्कृत करेंगे. कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, संपतिया उइके, कुंवर विजय शाह, राधा सिंह सहित बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधि, विषय-विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कार्यशाला का मकसद

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं सामुदायिक स्तर पर मजबूत बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना है. इसके अंतर्गत स्थानीय शासन की पारदर्शिता व जवाबदेही, मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग, वित्तीय प्रबंधन एवं पंचायत शासन, 'स्वनिधि से समृद्धि' अभियान, वाटरशेड परियोजनाओं का क्रियान्वयन, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ ग्राम तथा विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं का प्रभावी संचालन, पेसा ग्राम सभाओं की वर्तमान स्थिति एवं सफल क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पैनल डिस्कशन एवं तकनीकी सत्र

कार्यशाला के इन सत्रों में मंत्री, अपर मुख्य सचिव, विषय-विशेषज्ञ एवं विभाग के प्रमुख अधिकारियों की सहभागिता से उच्च स्तरीय पैनल डिस्कशन होगा. प्रत्येक दिन तकनीकी सत्रों में केस स्टडी, समूह गतिविधियां, फील्ड आधारित उदाहरण, अनुभव-साझा सत्र द्वारा प्रतिभागियों को व्यावहारिक सीख प्रदान की जाएगी।

2000 जनप्रतिनिधि-अधिकारी होंगे शामिल

तीन दिन तक चलने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला में 2000 से अधिक जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल होंगे।

शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल, उमंग सिंघार का हमला-"12 हज़ार शिक्षक दफ्तरों में फंसे हैं, पढ़ाई कैसे चलेगी?

भोपाल। शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर राजनीतिक घमासान के केंद्र में है। प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। बच्चों की पढ़ाई पहले से ही स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित हो रही है, ऊपर से उपलब्ध शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य से हटाकर अन्य सरकारी जिम्मेदारियों में लगा दिया गया है, जिससे स्कूल-कॉलेजों की स्थिति और बदतर हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को कड़ी घेराबंदी में लेते हुए कहा कि

70 कॉलेज प्रोफेसर और करीब 12,000 स्कूली शिक्षक क्लासरूम छोड़कर सरकारी दफ्तरों में फाइलें चेक करने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि शिक्षक ही पढ़ाने के बजाय प्रशासनिक कार्य करेंगे, तो बच्चों की शिक्षा कौन संभालेगा? सिंघार ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि "यह सरकार शिक्षा व्यवस्था की अर्थी सजाने में लगी हुई है।" उमंग सिंघार ने बताया कि प्रदेश के कॉलेजों में 6,000 से अधिक पद खाली हैं, जबकि स्कूलों में 60,000 से ज्यादा शिक्षक पद रिक्त पड़े हैं। इसके बावजूद सरकार नए शिक्षक भर्ती करने की जगह मौजूदा शिक्षकों को ही गैर-शैक्षणिक कार्यों में झोंक रही है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि यदि शिक्षक दफ्तरों में बैठकर कागज़ देखेंगे तो क्या स्कूल-कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब अधिकारी भेजे जाएंगे? उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों का मूल कार्य छात्रों को पढ़ाना है, लेकिन कभी चुनाव, कभी सर्वे, कभी SIR जैसे अभियानों के कारण उन्हें बार-बार कक्षा से बाहर भेज दिया जाता है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होते हैं।

पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 19 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित। 15 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद। बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स
सह. संपादक

इंदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर तथा 15 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है। आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे आरोपी-

1. जुनैद पिता मजहर अली उम्र 27 वर्ष निवासी 53 बडवाली चौकी रजा अपार्टमेंट थाना सदर बाजार इंदौर

2. नीरज पिता गणपत सिंह ठाकुर उम्र 31 वर्ष निवासी 163/15 मयुर नगर इंदौर थाना आजाद नगर इंदौर

3. राज बौरासी पिता कमल बौरासी उम्र 23 वर्ष निवासी 118 त्रिवेणी नगर चितावद थाना भवंरकुआ इंदौर,

4. रोशन उर्फ रोहन बौरासी उम्र 25 वर्ष निवासी 118 त्रिवेणी नगर थाना भंवरकुआ इंदौर इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश-

1. जुनैद अली (06 माह)
2. नीरज ठाकुर (06 माह)
3. राज बौरासी (06 माह)
4. रोशन उर्फ रोहन (06 माह)

को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा बदमाश -

1. आवेश पिता हनीफ खान उम्र 30 साल निवासी 6 बांदा कपाउंड थाना छोटी ग्वाटोली इंदौर (अवधि - 01 साल)

2. सतीश पिता प्रेम उम्र 45 साल निवासी 218 नया बसेरा थाना एमआईजी इंदौर (अवधि - 01 साल)

3. सुन्दरम उर्फ छोटु पिता अवधेश दीक्षित निवासी राधाकृष्ण नगर सदगुरू स्कूल के सामने नंदबाग थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि - 01 साल)

4. पीयूष उर्फ पीलू पिता फुलसिंह मनावत उम्र 19 साल निवासी 272/3 कुशवाह नगर थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि - 01 साल)

5. रिंकू उर्फ विकास पिता मोहन लोधी उम्र 45 साल निवासी आई 23 आईडिया मल्टी स्कीम न 140 थाना तिलक नगर इंदौर (अवधि - 01 साल)

6. हेमंत उर्फ भय्यू पिता सदाशिव सुरोसे उम्र 28 साल निवासी 122/7 फिरोज गांधी नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 01 साल)

7. पकंज उर्फ टिल्लू पिता ब्रम्हानंद झीरवाल उम्र 25 साल निवासी 110 नई जीवन का फेल थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 01 साल)

8. सागर पिता प्रताप नेकिये उम्र 24 साल निवासी 25/1 बीके सिंधी कॉलोनी थाना जूनी इंदौर इंदौर (अवधि - 06 माह)

9. सुजल उर्फ छोटू पिता दिनेश राठौर उम्र 20 साल निवासी 459/1 विनोबा नगर थाना पलासिया इंदौर (अवधि - 06 माह)

10. आकाश उर्फ कालू पिता धनराज धीमान उम्र 23 साल निवासी 123 बडी ग्वालटोली थाना पलासिया इंदौर (अवधि - 06 माह)

11. कालू पिता सगुन उम्र 26 साल निवासी अहीरखेडी काकड थाना द्वारकापुरी इंदौर (अवधि - 06 माह)

12. लखन उर्फ लख्खा पिता देवराज जेरिया उम्र 27 साल निवासी 601 कुलकर्णी का भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि - 06 माह)

13. सलीम पिता ईद मोहम्मद उम्र 48 साल निवासी 80 हीना पैलेस कॉलोनी थाना खजराना इंदौर (अवधि - 06 माह)

14. आकाश पिता राधेश्याम पाल उम्र 27 साल निवासी 300 सेक्टर बी स्लाईस 3 स्कीम न 78 थाना लसुडिया इंदौर (अवधि - 06 माह)

15. सोहेल पिता उमर कुरैशी उम्र 26 साल निवासी 90 साउथ तोडा थाना लसुडिया इंदौर (अवधि - 06 माह)

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तो के तहत बदमाशों को-
• निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।

अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।

शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है। बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तो का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

आबकारी इंदौर की कार्यवाही,अवैध मदिरा के साथ पेशेवर गिरफ्तार

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

कलेक्टर जिला-इंदौर , श्रीमान शिवम बर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशानुसार तथा कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी ,डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल, उड़नदस्ता प्रभारी श्री कमलेश सोलंकी, एडीईओ श्री जय सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 22/11/2025 को *वृत्त सांवेर वृत प्रभारी त्रिअंबिका शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर अपनी टीम के साथ चामुंडा माता मंदिर के पास दबिश देकर अवैध रूप से संग्रहित की 56.73 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त कर आरोपी संजय गौड़ पिता राजेंद्र गौड़ ,39 वर्ष निवासी सांवेर ,जिला-इंदौर(मप्र)को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)के, एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर गैर जमानती अपराध होने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया है।जब्त मदिरा की कुल कीमत 36000/-रुपए निकाली गई है।

आरोपी पर पूर्व से पंजीबद्ध हैं कई अपराध आरोपी संजय गौड़ के खिलाफ आबकारी में अवैध रूप से शराब के संग्रहण के प्रकरण पूर्व में भी पंजीबद्ध हैं।

सराहनीय भूमिका - आज की कार्यवाही में सांवेर वृत्त के आबकारी आरक्षक कैलाश अखंडे, संजय सिंगार और ड्राइवर करण का सराहनीय योगदान रहा।

इंदौर पुलिस की नो एंट्री का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी...

12 भारी वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर किया, 60000 रुपये का जुर्माना।

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

इंदौर - शहर में सुगम सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में पुलिस द्वारा लगातार यातायात प्रबंधन का कार्य एवं नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी अनुक्रम में कल दिनांक 23 नवंबर की सुबह से आज 24 नवंबर की सुबह तक नो एंट्री में भारी वाहनों को लाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध, इंदौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 12 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 60000/- रुपये का समन शुल्क वसूल कर शासन के खाते में जमा कराया । साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई कि प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।

रणजीत टाइम्स

साप्ताहिक अख़बार

इंदौर प्रति मंगलवार, 25 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक

यातायात पुलिस का हेलमेट जागरूकता एवं वितरण कार्यक्रम लगातार जारी

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

• पुलिस कमिश्नर, नगरीय इन्दौर ने हेलमेट जागरूकता अभियान में, वाहन चालकों को सुरक्षित यातायात के लिए, की नियमों का पालन करने की अपील।

• वाहन चालकों को सुरक्षा का महत्व समझाया और हेलमेट वितरित किये।

• नियमो का पालन करने वाले चालकों को सम्मानित किया तो वाहन चालकों ने अनुभव साझा किए।

इंदौर- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आमजन मानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह एवं पुलिस उपायुक्त (यातायात/जोन4) श्री आनंद कलादगी के मार्गदर्शन में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है।

इसी कडी मे आज व्हाईट चर्च चौराहे पर पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त (यातायात/जोन4) श्री आनंद कलादगी की उपस्थिति में इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वृहद हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कमिशनर महोदय के द्वारा ऐसे वाहन चालक जिनके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दस्तावेज पूर्ण थे उन्हें हेलमेट प्रदान किए गए। कुछ वाहन चालकों द्वारा नियमो का उल्लंघन करने पर पहले चालान किया गया फिर सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी दिया। ऐसे भी जिम्मेदार दोपहिया वाहन चालक इस अभियान में सम्मिलित हुए जो स्वेच्छा से हेलमेट लगाएं मिले पुलिस कमिश्नर महोदय व अधिकारियों द्वारा ऐसे जिम्मेदार चालको की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए।अभियान के दौरान युवक-युवती, बुजुर्ग, पत्रकार साथी और जरूरमन्द वाहन चालकों को हेलमेट प्रदान किये गए।

पुलिस कमिश्नर महोदय ने वाहन चालकों से यह भी कहा कि लगातार इन्दौर शहर के सुगम, सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए आमजन मानस को जागरूक करने व सड़क सुरक्षा में उनकी सहभागिता के लिए नित नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों उद्देश्य यही है कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा नियमों की गंभीरता को समझे व स्वेच्छा से यातायात नियमों का पालन करें। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार वाहन चालकों को आगे आना चाहिए और अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। वाहन चालकों ने भी संकल्प लिया कि ना केवल हम यातायात नियमों का पालन करेंगे बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम में अंकुर रिहैब सेंटर के डायरेक्टर डॉ अंकुर अग्रवाल व टीम का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षक गण सहित यातायात का स्टाफ, ट्रैफिक प्रहरी, ट्रांसपोर्ट एसोशिएशन की टीम भी उपस्थित रही।

आबकारी कार्यवाही

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

कलेक्टर महोदय जिला-इंदौर , श्रीमान शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये

निर्देशानुसार तथा कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में आज दिनांक 21/11/2025 को वृत्त बालदा कॉलोनी ओर बॉम्बे बाजार वृत प्रभारी मीरा सिंह की टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना पर चोइथराम हॉस्पिटल के पहले सर्विस लेन पर दबिश देकर एक दोपहिया वाहन क्रमांक MP09dz6291 टीवीएस जुपिटर पर अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही एक पेटी विदेशी मदिरा रॉयल स्टेज आरोपी चंद्रप्रकाश पिता आयलदास गुरुवाणी 43 वर्ष निवासी वैशाली नगर,थाना अन्नपूर्णा, इंदौर, मप्र को पकड़ लिया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसके अलावा हरिहर नगर से कमल बैरागी पिता चुन्नीलाल उम्र 43 वर्ष नि हरिहर नगर द्वारकापुरी के मकान से 28 बोतल विदेशी मदिरा (रॉयल स्टेज, सिग्नेचर aallsision,8PM, ऑफिसर चॉइस,MD run आदि), मदिरा जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के प्रकरण पंजीबध्द किए गए हैं।जब्त मदिरा और वाहन की कुल कीमत 1,19,334रुपए रही। बालदा कालोनीओर बॉम्बे बाजार वृत्त प्रभारी मीरा सिंह,आबकारी आरक्षक मनोज खरे , मोहित रायकवार ,कोमल कनेल,बब्लू सिसोदिया और ड्राइवर अमित का सराहनीय योगदान रहा ।

आबकारी इंदौर की कार्यवाही

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

सह. संपादक

कलेक्टर महोदय जिला-इंदौर , श्रीमान शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार तथा कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में आज दिनांक 24/11/2025 को वृत्त बालदा कॉलोनी ओर बॉम्बे बाजार वृत प्रभारी मीरा सिंह की टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर चोइथराम चौराहा से आगे AB रोड पर दबिश देकर एक पब्लिक परिवहन तीन पहिया ऑटो वाहन उपयोग कर अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही एक बैग और एक अटैची में कुल 24 बोतल विदेशी मदिरा ब्लेंडर प्राइड,ब्लाकन व्हाइट,बकार्डी रम आदि , आरोपी गौरव मालवीय पिता जगदीश उम्र 25 वर्ष निवासी सेजआवत जिला रतलाम , मप्र को पकड़ लिया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कुल कीमत 32,334रुपए रही। कार्यवाही में बालदा कालोनीओर बॉम्बे बाजार वृत्त प्रभारी मीरा सिंह,आबकारी आरक्षक मनोज खरे , मोहित रायकवार ,कोमल कनेल,एलेन बघेल,मोहित कछवाय बब्लू सिसोदिया और ड्राइवर अमित का सराहनीय योगदान रहा ।

नितिन सुर्वे मित्र मंडल की अगुवाई में भव्य महा आरती, रणजीत टाइम्स टीम की उपस्थिति से कार्यक्रम गरिमामय

रणजीत टाइम्स

इंदौर। सर्व मराठी भाषा सेवा संघ, स्कीम नंबर 78 द्वारा आयोजित श्री शिव मल्हारी मार्तंड जन्मोत्सव के अंतर्गत आज भव्य महा आरती अत्यंत श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण आयोजन में रणजीत टाइम्स के संपादक गोपाल गावंडे जी, सह-संपादक दीपक वाडेकर, राहुल वीरकर एवं हीरा खटवानी सहित संपूर्ण टीम की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ा दी। इस वर्ष आयोजन की संपूर्ण व्यवस्थाओं में नितिन सुर्वे मित्र मंडल की अगुवाई और उत्कृष्ट प्रबंधन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। मंडल की सक्रिय भूमिका के कारण पूरे कार्यक्रम में सुव्यवस्था, सेवा-भाव और समन्वय का आदर्श स्वरूप देखने को मिला।

भक्तिमय वातावरण और श्रद्धालुओं की बड़ी सहभागिता

सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। आरती के दौरान शंखध्वनि, घंटाघड़ियाल और भजनों की स्वर लहरियों ने वातावरण को पूर्णतः भक्तिमय बना दिया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने शिव मल्हारी मार्तंड भगवान की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया, और परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा एवं उल्लास का वातावरण बना रहा।

भव्य भंडारा एवं महाप्रसादी की उत्कृष्ट व्यवस्था

महा आरती के उपरांत सभी भक्तजनों के लिए भंडारे एवं महाप्रसादी का शानदार आयोजन किया गया। सेवा समिति, स्वयंसेवकों के साथ-साथ नितिन सुर्वे मित्र मंडल की टीम ने व्यवस्थाओं को अत्यंत सुसंगठित एवं अनुशासित रूप से संभाला। प्रसाद ग्रहण करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रशंसा व्यक्त की

"सेवा, अनुशासन और श्रद्धा का ऐसा समन्वय हर वर्ष एकता और ऊर्जा का संदेश देता है।"

लगातार 9 वर्षों से जारी आस्था की अलौकिक परंपरा

आयोजन समिति के अनुसार यह पावन उत्सव लगातार 9 वर्षों से निरंतर भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। समिति ने बताया

"इस आयोजन का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं, बल्कि समाज में सांस्कृतिक विरासत, सद्भाव और पारिवारिक समन्वय को मजबूत करना है।"

आगामी कार्यक्रम

युवक–युवती परिचय सम्मेलन
26 नवंबर 2025, बुधवार
सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक
पालकी यात्रा
26 नवंबर 2025, बुधवार
शाम 4 बजे
प्रतिदिन महाप्रसादी
शाम 7 बजे से

विशेष सूचनाः युवक–युवती का बायोडाटा, जन्मकुंडली की प्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो 25 नवंबर 2025 तक मंदिर में जमा करवाने का अनुरोध किया गया है।

आयोजक मंडल- सर्व मराठी भाषा सेवा संघ, स्कीम नंबर 78, इंदौर

निवेदकः विधायक श्री रमेश मेंदोला जी
विशेष सहयोगः नितिन सुर्वे मित्र मंडल
कथावाचकः पं. श्री नारायण शास्त्री (काटाफोड़)

रंजीत टाइम न्यूज़पेपर के 10 वर्ष पूर्ण-उज्जैन काल भैरव प्रशासनिक अधिकारी संध्या मार्केड ने दी शुभकामनाएँ, रंजीत टाइम परिवार ने भेंट की माँ अहिल्या देवी की तस्वीर

रणजीत टाइम्स

उज्जैन। रंजीत टाइम न्यूज़पेपर ने अपनी पत्रकारिता के 10 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण किए। इस उपलक्ष्य में उज्जैन काल भैरव मंदिर की प्रशासनिक अधिकारी संध्या मार्केड ने रंजीत टाइम न्यूज़पेपर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।

संध्या मार्केड ने अपने संदेश में कहा-"रंजीत टाइम न्यूज़पेपर ने बीते वर्षों में निष्पक्ष, सकारात्मक और समाजहित की पत्रकारिता के बल पर एक सशक्त पहचान बनाई है। आपकी विश्वसनीय खबरें और जनसेवा की भावना सराहनीय है। आने वाले वर्षों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएँ।"

इस अवसर पर रंजीत टाइम न्यूज परिवार की ओर से संध्या मैडम को माँ अहिल्या देवी की सुंदर तस्वीर ससम्मान भेंट की गई। संस्था के प्रतिनिधियों ने कहा कि-"संध्या मैडम जैसी कर्तव्यनिष्ठ और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से आशीर्वचन पाना हमारे लिए गौरव की बात है। हम सत्य, निष्पक्षता और समाजहित को प्राथमिकता देते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों को आगे भी बनाए रखेंगे।" कार्यक्रम के दौरान रंजीत टाइम परिवार ने संस्था की यात्रा, उपलब्धियों और पाठकों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।10 वर्ष पूर्ण होना संस्था के लिए गर्व, जिम्मेदारी और नए संकल्पों का क्षण है।

महेश ढालीया ने रणजीत टाइम्स को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की

इंदौर। मध्यप्रदेश रजक कल्याण बोर्ड इंदौर के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री महेश ढालीया ने रणजीत टाइम्स को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा कि रणजीत टाइम्स ने पिछले वर्षों में पत्रकारिता के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को निडरता एवं विश्वसनीयता के साथ उठाया है। श्री ढालीया ने आशा व्यक्त की कि रणजीत टाइम्स इसी तरह निष्पक्षता, सकारात्मकता और जनहित के साथ अपनी भूमिका निभाता रहेगा तथा समाज के हर वर्ग की आवाज को मजबूत मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर उन्होंने टीम रणजीत टाइम्स के संपादक एवं समस्त सदस्यों को उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं कीं।

थाना खजराना पुलिस की तत्परता से मिली एक और सफलता,कुछ ही समय में झपटमारी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन व बिना नंबर की मोटरसाइकिल जप्त

राजेश धाकड़

थाना खजराना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए झपटमारी की घटना का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दो आरोपियों को कुछ ही समय में पकड़ लिया। आरोपियों के पास से कुल 10 चोरी के मोबाइल फोन एवं बिना नंबर की मोटरसाइकिल विधिवत जप्त की गई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मौका देखकर झपटमारी को अंजाम देते थे और अपने शौक पूरे करने के लिए लगातार अपराध कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के हाथ–पैर में चोट भी आई।

घटना की जानकारी

फरियादी प्रकाश माली पिता किशोर माली, निवासी ग्राम कलजाना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन ने थाना खजराना पर आकर बताया कि दिनांक 22/11/2025 को वह साहिल रेसिडेंसी, सर्वेश रोड, रॉबर्ट चौराहे के पास बैठा था। तभी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उसके हाथ में रखा Vivo V27 मोबाइल झपट्टा मारकर बंगाली चौराहे की ओर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 960/25 धारा 304(1) BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

कैसे पकड़े गए आरोपी

जांच के दौरान क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपियों की गतिविधियां दिखाई दीं। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कर्बला कुआं, खजराना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के साथ मौजूद हैं।

थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव ने तत्काळ टीम रवाना की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तार आरोपी

सलमान उर्फ मच्छी उर्फ अमान पिता सलीम शेख, उम्र 25 वर्ष निवासी – सुपारी वाली गली, जल्ला कॉलोनी, खजराना इंदौर,सब्जी का ठेला चलाता है, अशिक्षित)साहिल उर्फ चिट्टू पिता शकूर खान, उम्र 22 वर्ष निवासी – 148, जल्ला कॉलोनी, खजराना इंदौर(ई-रिक्शा चालक, 4th तक शिक्षित)

जप्त मशरूका

Vivo V27S मोबाइल फोन (मूल्य लगभग 1,80,000, IMEI – 863067066119699) विभिन्न कंपनियों के कुल 10 मोबाइल फोन एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने शौक पूरे करने के लिए झपटमारी करना शुरू कर चुके थे। पुलिस अब उनसे अन्य थानों की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई कार्रवाई

पुलिस आयुक्त इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह एवं डीसीपी जोन 02 श्री कुमार प्रतीक के मार्गदर्शन में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जोन 02 के एडीशनल डीसीपी श्री अमरेन्द्र सिंह एवं एसीपी श्री कुंदन मंडलोई के नेतृत्व में थाना प्रभारी खजराना निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव ने विस्तृत कार्ययोजना बनाकर टीमें लगाई थीं।

कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका

निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उपनिरीक्षक अनिल गौतम,उपनिरीक्षक संदीप पटेल, उपनिरीक्षक घनश्याम मिश्रा, सउनि खेमराज जाटव, प्रआर जितेंद्र गुर्जर, पंकज सांवरिया, अजीत यादव, नरेश चौहान, आर. शुभम सिंह, जबर सिंह धाकड़ का सराहनीय योगदान रहा।

अवैध शराब की होम डिलीवरी पर आबकारी इंदौर की सख्त कार्रवाई-विदेशी मदिरा व वाहन जप्त

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

सह. संपादक

कलेक्टर जिला इंदौर श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशन में तथा कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल,उड़नदस्ता प्रभारी कमलेश सोलंकी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 24.11.2025 को वृत्त –आंतरिक क्षेत्र क्रमांक 01 आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन की टीम द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान चोइथराम मंडी के पास ग्रे कलर जुपिटर वाहन (MP09 DM 6019) से शराब की अवैध होम डिलीवरी करते हुए आरोपी हर्ष पिता दिलीप, उम्र 23 वर्ष, निवासी बिजलपुर को पकड़कर उसके पास से 1 पेटी विदेशी मदिरा बरामद की गई। वाहन सहित मदिरा को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल बाज़ार मूल्य लगभग 75,000/- आंका गया है। कार्रवाई में आबकारी आरक्षक मुकेश रावत, वीरेंद्र पटेल, विपुल खरे एवं नर्मदा अलावा का उल्लेखनीय योगदान रहा।

सहजयोग में कुंडलिनी जागरण द्वारा जीवन को सार्थक दिशा प्राप्त होती है

लोगों को समय और जीवन बर्बाद करते देख मन में बहुत चिंता सी होती है किस तरह लोग अपना समय व्यर्थ, कर रहे हैं। क्या केवल खाना-पीना, मौज - मस्ती करना ही जीवन है ? क्या केवल मंदिर जाना, पूजा-पाठ, करना तीर्थ करना ही धर्म का सार है देखिए आपको क्या लगता है? सोचकर देखिए आखिर जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है क्या आप यूं ही जीवन व्यतीत करते- करते पंचतत्व में विलीन होना चाहते हैं? सोचिए आप किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जरा, सोचिए ऐसी कौनसी शक्ति है, जो सारे संसार को चालना देती है कौनसी सी शक्ति है जो आपको चला रही है? आपका हृदय कौन चला रहा है ? आपकी श्वासों का नियंत्रण कैसे हो रहा है? कौन सी शक्ति है, जो शरीर को स्वस्थ रखती है? सोचकर देखिए संसार में इतने जीवंत कार्य किस प्रकार हो रहे हैं?, अलग-अलग फूलों का खिलना, पेड़ों का बढ़ना, जन्म-मरण आदि । कभी सोचा है, ईश्वर कौन है? यदि आप ईश्वर की शक्ति महसूस करना चाहते हैं तो स्वयं का आत्म परीक्षण कर अपनी शक्ति से अपनी आत्मा से साक्षात्कार कीजिए जो केवल कुंडलिनी जागरण से ही संभव है। सहजयोग में कुंडलिनी जागरण के पश्चात् आप उस परमेश्वरी शक्ति से एकाकार हो जाते हैं जो इस ब्रह्माण्ड को चला रही है। इसके लिए आपको अंतस्थ होना होगा ध्यान के माध्यम से आप इस स्थिति को बड़ी सहजता और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आपकी

शक्ति जागृत होती है जो धीरे-धीरे सूक्ष्म चक्रों से गुजरती है और उन्हें प्लावित करती है। इस शक्ति के माध्यम से आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक हर स्तर का विकास होता है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। भूत, भविष्य की बेड़ियों से मुक्त हो कर साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। आनंद के उस शिखर पर स्थापित हो जाते हैं जहां मात्र निरानंद, शांति और सुकून होता है। सुख-दुख, जीवन - मरण के बंधन छूट जाते हैं तथा उस शक्ति से एकाकार हो जाते हैं जिसने हमें बनाया है। सहजयोग ध्यान के माध्यम से अपनी शक्तियों की अनुभूति प्राप्त करने हेतु अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा यूट्यूब चैनल लर्निंग सहजयोगा से प्राप्त कर सकते है।

सुदर्शन राष्ट्र निर्माण संगठन

इंदौर के उपाध्यक्ष अमन मंडलोई को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सुदर्शन राष्ट्र निर्माण संगठन इंदौर के कर्मठ, समर्पित एवं समाजसेवी उपाध्यक्ष अमन मंडलोई को जन्मदिवस की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और समाजसेवा के पथ पर इसी तरह प्रेरणादायक कार्य करते रहें। आपका नेतृत्व, ऊर्जा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण संगठन के लिए सदैव अनुकरणीय है।

शुभकामनाकर्ता

राजेश धाकड़
पत्रकार

सुप्रीम कोर्ट ने खींची संवैधानिक लक्ष्मण रेखा, राज्यपालों को समय सीमा में बांधने से इंकार

नई दिल्ली। भारत का संवैधानिक ढांचा तीन स्तंभों-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका—के संतुलन पर खड़ा है। तीनों के बीच यह संतुलन तब बिगड़ता है, जब कोई भी संस्था अपनी सीमा का अतिक्रमण करती है।

हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने इसी संवैधानिक अनुशासन को दोबारा रेखांकित किया है और साफ संदेश दिया है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के बावजूद न्यायपालिका को भी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पहले यह टिप्पणी की थी कि यदि राज्यपाल विधेयकों पर समय पर निर्णय नहीं लेते, तो उन्हें स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

इतना ही नहीं, उस आदेश में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को समय सीमा में बांधने की भी बात कही गई थी। यह टिप्पणी न केवल विवादास्पद थी, बल्कि संवैधानिक ढांचे के विपरीत भी मानी गई, क्योंकि संविधान में ऐसी किसी स्वचालित स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। न्यायपालिका के इस निर्णय पर विभिन्न पक्षों की ओर से सवाल उठे और अंततः राष्ट्रपति को भी इस मामले में हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए सवालों पर विचार करने के बाद संविधान पीठ ने साफ कहा कि दो सदस्यीय पीठ का फैसला असंवैधानिक था।

औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में सीएसआर फंड का बड़ा घोटाला

स्वयंसेवी संस्थाओं और कंपनी प्रबंधकों ने मिलकर सीएसआर फंड के डकारे करोड़ों रुपये

दिव्यानंद अर्गल

मालनपुर :- औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में पिछले करीब 40 वर्षों से सैकड़ो छोटी बड़ी इकाइयां संचालित है तो कई बड़े उद्योग बंद भी हो चुके हैं लेकिन फैक्ट्री प्रबंधकों और शासन की अनदेखी तो प्रशासन की मनमानी के चलते कभी भी कंपनियों ने अपना फर्ज ईमानदारी से नहीं निभाया है बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को खुश करने में ही रुचि दिखाई है और आम जनता आज भी अपने हक से वंचित है दरअसल सीएसआर फंड उन वित्तीय संसाधनों को संदर्भित करता है जिन्हें कंपनियों द्वारा सामाजिक पर्यावरणीय और सामुदायिक विकास से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आवंटित किया जाता है भारत में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 की तहत सीएसआर को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है कुछ निर्धारित वित्तीय मानदंडों अथवा टर्नओवर को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है सीएसआर फंड का उपयोग विभिन्न सामाजिक जनहित के कार्यों के लिए किया जाता है जैसे शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं गरीबी उन्मूलन लैंगिक समानता पर्यावरण स्थिरता और ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है कंपनियां इन गतिविधियों को सीधे तौर पर या गैर सरकारी संगठनों अथवा एनजीओ के माध्यम से लागू कर सकती हैं बशर्ते वे संगठन निर्धारित पात्रता को पूरा करते हो लेकिन औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में कंपनियों ने सीएसआर फंड में भी बड़ा गोलमाल किया है क्योंकि यहां के जिम्मेदार लोगों और नेताओं ने कभी भी प्रयास नहीं किया कि सीएसआर फंड से जनता की हित के कार्यों को किया जाए बल्कि अपनी जेबें भरते रहे हैं यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर आज भी विकसित नहीं हो सका है

तो दूसरी ओर कई कंपनियों के द्वारा फैलए जा रहे प्रदूषण से परेशान है। कंपनी प्रबंधकों ने मालिकों को गुमराह कर स्थानीय नेताओं को खुश कर अपनी जेबें भरी है यही कारण है कि एनजीओ के द्वारा कराए गए सीएसआर के कार्य जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं लोगों का कहना है कि एनजीओ ने हमेशा सीएसआर फंड से कार्यक्रम आयोजित कर फोटो खिंचाकर फॉर्मेलिटी कर करोड़ों का गोलमाल किया है जिनकी बड़े स्तर पर जांच की जाना चाहिए।

स्थानीय लोगों ने कैडबरी प्रबंधन लगाए सीएसआर फंड में घपले के आरोप

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में संचालित मोड़लेज (कैडबरी) कंपनी पर सीएसआर फंड में गड़बड़ झाले का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर भिंड को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की थी तो वही क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता बृजेंद्र पाल बंसल ने भिंड के पूर्व कलेक्टर संजीव श्रीवास्तवद्वारा को शिकायत कर सीएसआर फंड में हुए घपले की जांच करने की मांग की थी, उन्होंने पत्र में उल्लेख किया था कि कंपनी प्रबंधन और स्वयंसेवी संस्था सामाजिक कार्यों के नाम पर सीएसआर फंड बंदर बांट कर हड़प रही है उन्होंने तो पत्र में यहां तक मांग की थी कि बाकायदा एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो और उनकी देखरेख मे सी एस आर की राशि सामाजिक और जनहित कार्यों पर खर्च की जाए तो क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाएगी।

इनका कहना है

मुझे क्षेत्रीय लोगों से जानकारी मिली है कि कैडबरी कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों में सीएसआर फंड के नाम पर करोड़ों का घपला हुआ है। मैं इस संबंध में कलेक्टर से बात करूंगा और इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की गुंडे, बदमाशों एवं असमाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी...

पुलिस द्वारा देर रात्रि की कॉम्बिंग गश्त में गुंडे बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 1070 बदमाशो को चेक करते हुए, उनमे से 461 पर की उचित वैधानिक कार्यवाही। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 172 लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध की गई 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही।

सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध 12 प्रकरण तथा अवैध मादक पदार्थ का सेवन करने वालो के विरुद्ध 04 प्रकरण पंजीबद्ध कर बदमाशों/असामाजिक तत्वों पर की वैधानिक कार्यवाही

हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग कर की चैकिंग व निगरानी।

इंदौर- दिनांक 23 नवंबर 2025- शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में , एडिशनल कमिश्नर (का./व्य.) श्री अमित सिंह व एडिशनल कमिश्नर (क्राइम) इंदौर श्री आर.के. सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर शहर के चारों जोन के नेतृत्व में, दिनांक 22-23 नवंबर की दरमियानी रात से सुबह तक नगरीय इंदौर के संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ पुलिस फोर्स ने सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे बदमाशों असामाजिक तत्व पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए सरप्राइज चैकिंग व कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों व असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए लगभग कुल 1070 बदमाशो को चेक करते हुए, उनमे से 461 पर उचित वैधानिक कार्यवाही की गई हैं.... जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में वांछित कुल 223 से ज्यादा वारंटों को कराया गया तामील, जिसमें लंबे समय से फरार-- 41-स्थाई, 74-गिरफ्तारी और 108-जमानती वारंट के साथ ही 60 समंस भी किए गए तामील । इस दौरान अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर कड़ा प्रहार करते हुए, 172 वाहन चालकों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई। और ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ताकि शराब पीकर वाहन चलाते हुए लोगों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे लापरवाह वाहन चालकों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। अवैध मादक पदार्थ का सेवन करने वालो के विरुद्ध 04 प्रकरण पंजीबद्ध कर NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई। वहीं सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध 12 प्रकरण पंजीबद्ध कर बदमाशों/असामाजिक तत्वों पर की वैधानिक कार्यवाही। आदतन बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए- 170 BNSS में-15 व 129 BNSS में-01, 126B/135(3) BNSS में-33, 141-1ख में 01, इस प्रकार कुल 50 बदमाशो/असामाजिक तत्वों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही/समंस तामिल।

इस दौरान हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग कर की चैकिंग व निगरानी करते हुए, क्षेत्र के अपराधिक प्रवृत्ति के 207-गुंडे/बदमाशों, 58-नकबजनों, 22-लुटेरों, 98-चाकूबाजों, 123-निगरानीशुदा बदमाश और 41 जिलाबदर व रासुका के बदमाशों तथा महिला संबंधी अपराधों एवं वाहनों में आगजनी व तोडफ़ोड़ में संलिप्त अपराधियों सहित करीब कुल 549 से ज्यादा बदमाशों को चेक कर की कार्यवाही और आगे कोई अपराध ना करने की दी हिदायत । इस दौरान कई फरार अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आये है, जिनके विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।

इस दौरान चेक किये/पकड़े गए बदमाशों को अपराध ना करने की हिदायत देते हुए उनसे डोजियर भी भरवाए गए हैं।

इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए, इंदौर ट्रैफिक पुलिस कर रही है हरसंभव प्रयास

हेल्पलाइन पर अब तक 1054 शिकायतें, 1025 का त्वरित निराकरण।

इंदौर - शहर में सुगम सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर के निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर – 7049107620 जारी किया गया है। उक्त हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतो पर ट्रैफिक पुलिस त्वरित निराकरण किया जा रहा है। यदि शिकायतें अन्य विभाग से जुड़ी होने पर ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा शिकायत की पुष्टि उपरांत जानकारी अन्य विभागों की ओर अग्रेषित भी की जा रही है। यातायात पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू होने से लेकर कल तक कुल 1054 शिकायत प्राप्त हुई जिनमे से 1025 शिकायतो का त्वरित निराकरण किया गया है, शेष 29 शिकायतों पर भी कार्यवाही की जा रही है। कल दिनाँक को 11 शिकायतें प्राप्त हुई, इनमें से 9 का निराकरण त्वरित किया गया। शेष 2 पर भी कार्य किया जा रहा है।

प्राप्त शिकायतो में अधिकांशत-

1. ऑटो/ई रिक्शा द्वारा अव्यवस्थित तरीके से सवारी बैठाना
2. शाम के समय कुछ मार्गो पर अत्यधिक यातायात दबाव से यातायात की समस्या।
3. सड़को पर बेतरतीब खड़े लोकपरिवाहन वाहनों से यातायात बाधित।

आदि कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई उक्त शिकायतों में उल्लेखित समस्याओ पर वाट्सएप हेल्पलाइन टीम द्वारा ट्रैफिक वायरलेस कंट्रोल, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर यातायात बिट/ थाना क्षेत्र में लगी ट्रैफिक टीम को सूचना देकर क्रेन/सपोर्ट के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर समाधान किया गया। आम नागरिकों से अनुरोध है कि सुव्यवस्थित यातायात हेतु इंदौर पुलिस को सहयोग दें और किसी भी प्रकार की ट्रैफिक संबंधी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर– 7049107620 पर सूचना दें।

जन्मदिन की अग्रिम शुभ सूचना

"रंजीत टाइम्स" में अब आप अपने या अपने प्रियजनों का जन्मदिन एक दिन पहले ही निशुल्क प्रकाशित करवा सकते हैं!

बस हमें भेजिए: 1 जन्मदिन मनाने वाले की फोटो
2 उसका पूरा नाम- 3 बधाई देने वाले का नाम जन्मदिन के एक दिन पहले ही विज्ञापन भेज दें, ताकि समय रहते प्रकाशित किया जा सके।

भेजने का नंबर (Aditya): 8224951278

रंजीत टाइम्स में आपका विज्ञापन पूरी तरह मुफ्त प्रकाशित किया जाएगा!
अपने जज़्बातों को शब्द दें – सिर्फ रंजीत टाइम्स के साथ।
टीम रंजीत टाइम्स- "आपका अपना अख़बार, आपकी आवाज़"

रणजीत टाइम्स

दैनिक रणजीत टाइम्स
जिला एवं तहसील स्तर पर एजेंसी देना है
अपना बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण के साथ हमें प्रेषित करें
सम्पर्क करें
8224951278 :: 9827068888

इंदौर पुलिस की साइबर पाठशाला में, Linkites सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉयीज ने भी लिया ये ज्ञान

"सतर्कता व जागरूकता ही है, साइबर अपराधों से बचने का एकमात्र समाधान"

आदित्य शर्मा » रणजीत टाइम्स

इंदौर पुलिस के Safe Clicks-AI Agentic solutions (Chatbot) से भी कराया रूबरू ।

इंदौर- वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये, इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से, पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में अति. पुलिस उपायुक्त क्राइम इंदौर श्री राजेश दंडोतिया ने टीम के साथ क्रिस्टल आईटी पार्क मे स्थित Linkites Infotech Pvt Ltd सॉफ्टवेयर कंपनी में पहुंचकर, सायबर अवेयरनेस के तहत कार्यशाला में वहां उपस्थित करीब 120 एम्प्लॉयीज को विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों की जानकारी दी और

साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्पलाइन-1930, पोर्टल cybercrime.gov.in, इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन 7049124445 आदि पर किस प्रकार शिकायत करें तथा पुलिस इन पर किस प्रकार कार्यवाही करती है और साइबर अपराधों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखें आदि के संबंध में, व्यवहारिक ज्ञान दिया। उन्होंने सभी से कहा कि आप सभी तो इस नई तकनीकी दुनिया से रोज परिचित होकर और आगे ले जाने वाले हैं। आने वाले समय में और नई-नई तकनीके देखने को मिलेगी, तो हमें और नई चुनौतियां भी मिलेगी और उसका सामना हम जब ही कर सकते हैं जब हम सतर्क और जागरूक होंगे। अतः आप लोगों का जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है तब ही आप दूसरों को भी इन खतरों से बचा पाएंगे। इस दौरान उन्होंने सभी को साइबर अपराधों के प्रति अवेयर करने वाले इंदौर पुलिस के AI आधारित आधुनिकतम सुरक्षा चेटबोट की जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा Safe Clicks-AI Agentic solutions (Chatbot) बनाया गया है, जो साइबर फ्रॉड से बचने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। देखने के लिए इसकी वेबसाइट https://safeclicks.in पर जा सकते हैं। या मोबाइल नंबर 7049108197 पर संपर्क करे।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार
इंदौर प्रति मंगलवार, 25 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक

औद्योगिक उन्नति का नया अध्याय

मुख्यमंत्री ने भोपाल में 'संघीय प्रदर्शनी 2025' का शुभारंभ किया, बोले- "वैश्विक सहयोग से विकास के नए द्वार खुल रहे हैं"

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में स्थित जीआईए प्रदर्शनी केंद्र में 'संघीय प्रदर्शनी 2025' का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश वैश्विक सहयोग, औद्योगिक समन्वय और नई तकनीकी संभावनाओं के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और औद्योगिक जगत के संयुक्त प्रयासों से आने वाले वर्षों में यह आयोजन और अधिक विशाल, आकर्षक और प्रभावशाली रूप लेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण तैयार किया जा चुका है, जहां सभी क्षेत्रों में संतुलित, पारदर्शी और तीव्र गति से कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवाचार को प्रोत्साहन देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और उद्योगों को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि प्रदेश में समृद्धि और आर्थिक मजबूती कायम हो सके। डॉ. यादव ने कहा-"मध्यप्रदेश में खुशहाली लाना हमारा संकल्प है और हम इसी दिशा में पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि 'संघीय प्रदर्शनी' केवल एक औद्योगिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवोन्मेषी प्रयासों और भविष्य की संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सशक्त मंच है। यह प्रदर्शनी राज्य में नए उद्योगों, विनिर्माण

इकाइयों और तकनीकी संस्थानों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे रोजगार के हजारों अवसर उत्पन्न होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह प्रदर्शनी प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और उद्योगों की प्रगति भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वे शनिवार को हैदराबाद में आयोजित एक विशेष संवाद सत्र में शामिल होंगे

जहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार–विमर्श करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य मध्यप्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और औद्योगिक विकास की गति को और अधिक तेज करना है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों से निवेश की एक नई श्रृंखला शुरू होगी, जो मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक सशक्त औद्योगिक केंद्र बनाएगी। भोपाल में आयोजित यह 'संघीय प्रदर्शनी 2025' प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

मौसम का बड़ा बदलाव तय,

दो दिन और चलेगी कड़ाके की ठंड, कई जिलों में आज अलर्ट जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने को तैयार है और अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में ठंड और तेज़ महसूस होगी। भोपाल मौसम केंद्र के मुताबिक, वर्तमान में एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण मलक्का जलडमरूमध्य के मध्य भागों में करीब 5.8 किमी की ऊँचाई पर सक्रिय है।

इस सिस्टम के प्रभाव से 22 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम उसके बाद पश्चिम-उत्तरी-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 24 नवंबर के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्रों में पहुँचकर अवदाब यानी डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके बाद अगले 48 घंटों तक इसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है और यह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ सकता है। इन समुद्री बदलावों का सीधा प्रभाव मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा।

पुनरीक्षण अभियान सख्ती सराहना के साथ जारी,

लापरवाही पर कार्रवाई और मेहनत पर मिला सम्मान

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान पूरे जोर पर चल रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह ग्वालियर जिले में भी बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा घर-घर पहुंचकर गणना फार्म दिए जा रहे हैं, उन्हें भरवाया जा रहा है और फिर पूरी जानकारी को ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे अभियान की निरंतर निगरानी कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची को अत्यंत सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सके। इसी निगरानी प्रक्रिया में जहां अच्छे कार्य के लिए कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, वहीं लापरवाह और गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।

ग्वालियर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान की देखरेख में जिले में यह पूरा अभियान तेज़ी से चल रहा है। लगातार निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति, उनके कार्य की प्रगति और संपूर्ण प्रक्रिया की गंभीरता से समीक्षा की। इस दौरान उन्हें कुछ कर्मचारियों का सराहनीय कार्य तो नजर आया, लेकिन एक कर्मचारी की लापरवाही इतनी गंभीर पाई गई कि उसकी सेवा ही समाप्त करना पड़ी। इसके ठीक उलट, जो कर्मचारी देर रात तक मेहनत करते हुए मतदाता सूची सुधारने में जुटे पाए गए, उन्हें कलेक्टर ने

स्वयं जाकर समोसा खिलाकर प्रोत्साहित किया, जिससे पूरे स्टाफ में उत्साह का माहौल बन गया। एसआईआर कार्य के दौरान नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी धर्मेंद्र सिंह यादव को लापरवाही और सहयोग न करने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम ने उन्हें सेवा से अलग करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को अपर आयुक्त द्वारा कंपनी सेंगर सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विसेज लिमिटेड को भेज दिया गया और धर्मेंद्र यादव की सेवाएं वापस कर दी गईं।

वे जल प्रदाय उपखंड लश्कर पश्चिम क्षेत्र के अधीन 02 पीएचई विभाग में तैनात थे और उनकी ड्यूटी शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन गोल पहाड़िया के पूर्वी भाग के कमरे में बीएलओ सहायक के रूप में लगाई गई थी। लेकिन वे बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे, जिससे पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ। इस गैर–जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एल.यू.एन 22 सेक्टर एफ सांवेर रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया इंदौर म.प्र. एवं जी -1 कॉस्मिक रीजेंसी 117 गोकुल नगर कनाडिया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित
संपादक गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (सभी विवादो का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)